न्यायालयः तृतीय जिला न्यायाधीश, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक EX-MJC/272/2026
फाईलिंग नंबर : EX-MJC/2679/2026
सी.एन.आर.नं. MP0701 009192 2026
संस्थित दिनांक 04.05.2026

छत्रपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, आयु 65 वर्ष, व्यवसाय डॉक्टरी, निवासी अर्जुन सिंह का मकान, तारागंज लश्कर जिला ग्वालियर, म.प्र.

....**डिक्रीदार**

: : बनाम : :

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिओम सिंह चौहान, निवासी ग्राम छता जिला दतिया

2. कृष्ण गोपाल तिवारी पुत्र श्री कमला प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम सुनारी जिला दतिया

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय गोविंदपुरी सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.

.....**निर्णीतऋणी**

आदेश दिनांक 07.07.2026

07.07.2026 डिक्रीदार द्वारा श्री बलदेव पाठक अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णीतऋणी अनुपस्थित।

प्रकरण निर्णीतऋणी की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण के इसी प्रक्रम पर डिक्रीदार अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि निष्पादन प्रकरण से संबंधित राशि निर्णीतऋणी ने अधिकरण के समक्ष जमा करा दी है, जो डिक्रीदार द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः उक्त स्थिति में यह निष्पादन प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किए जाने का निवेदन किया।

डिक्रीदार अधिवक्ता को सुना गया, निष्पादन प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि यह निष्पादन प्रकरण डिक्रीदार द्वारा तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरण प्रकरण क्रमांक 270/2008 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 16.01.2009 से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष एम.ए. क्रमांक

602/2009 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2026 अनुसार अधिनिर्णीत राशि वसूली हेतु प्रस्तुत की गई है। डिक्रीदार द्वारा व्यक्त किए अनुसार उक्त क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक पक्ष द्वारा अधिकरण के समक्ष जमा कराई जा चुकी है, जो डिक्रीदार ने प्राप्त कर ली है और प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किए जाने का निवेदन किया है, प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किए जाने की टीप डिक्रीदार द्वारा आदेश पत्रिका के हासिये पर लेख की गई।

फलतः प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही शेष न रहने से यह निष्पादन प्रकरण इसी स्तर पर पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणााम पंजी में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार संचित किया जावे।

DEVESH UPADHYAY

Digitally signed by DEVESH UPADHYAY
Date: 2026.07.07 17:19:10 +0530

सही/–
(देवेश उपाध्याय)
तृतीय जिला न्यायाधीश
ग्वालियर म.प्र.